The House reassembled after lunch at thirty-one minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

Remarks made by a Minister against top leadership of the Congress Party - *Contd.*

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) **:** बहुत-बहुत बधाई मैडम, कल के प्रोग्राम के लिए।

उपसभापति : शुक्रिया किसी चीज के लिए तो बधाई मिल रही है, वरना कोई बधाई देने के लिए तैयार ही नहीं है हम लोगों को।

श्री संघ प्रिय गौतम : रात इतने बढ़िया भाषण हुए।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) **:** मैडम।

उपसभापति : जी, बोलिए।

श्री सुरेश पचौरी : आज सुबह प्रशनकाल के बाद विपक्ष के नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कुछ बातें यहां सदन में उठाई थीं और यह चाहा था कि सरकार की प्रतिक्रिया उस संबंध में जानी जाए और आपने भी कुछ ऐसा मंतव्य व्यक्त किया था और हम चाहेंगे कि सरकार की उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है जो बात उन्होंने काफी गंभीरता से उठाई थी। यदि वह प्रतिक्रिया आज नहीं है तो कब तक वे प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में होंगे, यह हम आपके जरिए सरकार से जानना चाहेगें?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, it was made clear even on the day when the hon. Minister spoke that he did not intend anything against the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. He only referred to the discussion that was there in the tape and which was shown on TV as spoken by the then Chief Minister of Chhattisgarh. He did not make any allegation at all. Therefore, to say that there were allegations or something very bad said about the respected Leader of the Opposition in the Lok Sabha is not fair. It is not fair. And it is also not correct. This position has been made clear.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) **:** जब तक प्रतिक्रिया आए हम क्रिया शुरू कर दें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) **:** क्रिया तो हो चुकी है।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, यदि हाउस की प्रोसिडिंग्स देखी जाएं, चूंकि आपने भी आसंदी से यही व्यक्त किया था कि हाउस की प्रोसिडिंग्स देखेंगे और हाउस की प्रोसिडिंग्स के पृष्ठ-499 पर देखा जाए तो यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने जो बात कही थी वही इसमें आई हैं और हमने भी जो इस बात की पुष्टि की थी वह भी इससे उजागर हो गई है। यदि टेप भी सुना जाए तो उसमें भी इस बात की पुष्टि होती है। एक तो यह है। मैडम, प्रिसीडेंस 1968

ओनवर्डस का है और पहले की भी यह है कि जब शीलभद्र याजी जी ने डा0 राम मनोहर लोहिया के बारे में कोई एलीगेशन लगाए थे तो उस समय आसंदी ने यह कहा था कि या तो जो एलीगेशन लगाए हैं सब्सटेंसिएट किए जाएं या वे रिकार्ड से विदड्रॉ करने के बाद सदन से उस मामले में क्षमा याचना करें और बाद में चेयरमैन ने रूलिंग भी दी थी, जिसका इस किताब में उल्लेख किया गया है। तो रिकार्ड से यह तो साफ हो गया है कि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। एक तो यह बात आती है। दूसरी ,यदि दूसरे हाउस के सदस्य के बारे में यह बात कही जाए जिसको वे सब्सटेंसिएट नहीं कर सकते तो आसंदी को यह अधिकार होता है -नम्बर वन कि सदन की कार्रवाई से उन सब चीजों को विलोपित किसा जाए जो आपने कहा था, और दूसरा, वह इस चीज के लिए सदन से या तो क्षमा याचना मांगे या फिर वह प्रिविलेज का केस बनता है। यह दूसरी कंडीशन जो पुराने प्रिसिंडेंस हैं उसको देखते हुए बनती है। तीसरी बात है कि सरकार की तरफ से सदन के नेता का इस संबंध मे वक्तव्य आना था। कुछ ऍसी परिस्थितिया है कि सदन के नेता आज उपस्थित नहीं हैं। यदि आप इस बात को स्वीकार करें और माननीय सत्ता पक्ष के आदरणीय सदस्य भी इस पर सहमत हों तो सदन के नेता जब इस सदन में आ जायें, संभावना है कि वे सोमवार को आ जायेंगे तो मैं सोचता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चीज का पटाक्षेप हो सकता है और हम एक नये वातावरण में एक नई शुरूआत कर सकते हैं जिसकी अपेक्षा हमसे देशवासी करते हैं। उच्च सदन के जो माननीय सदस्य हैं वे किस प्रकार के आचरण का प्रयोग करें, कैसी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, चाहे कोई इस सदन में हो या उस सदन में हो, तो मैं सोचता हूं कि हम एक नये अध्याय की शुरूआत कर सकते हैं। यह जो दुर्भाग्यजनक बात हुई है उसका भी पटाक्षेप आदरणीय सदन के नेता जब इस सदन में मौजूद रहेंगे तो उनके उस कथन से हो सकता हैं, महोदया,तब तक के लिए आप जो व्यवस्था देंगी वह हमें स्वीकार है।

उपसभापति : जो जुबान बोलनी चाहिए वह तो कल सबने कही। चेयरमैन साहब ने भी कही, प्रेजीडेंट साहब ने भी कहा कि हाउस मिलजुलकर ही चलता है लड़ाई झगड़े से हाउस नही चलता है। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसके बारे में उससे पुष्टि करके एक मसले का हल निकालन चाहिए। यह तो परमानेंट हाउस हैं, हाउस तो चला नहीं है। आपको भाषण भी करने हैं, आपको बिल भी लाने हैं।You have to find a solution, आप बलबीर पुजं भी क्या कह रहें हैं?

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): Madam. I join with my friend, Pachouriji. I am with my friend, Pachouriji in saying that there should be a harmonious relationship among the Members in the House and among the various groups in the House. But, at the same time, can we have double-standards? Can we have some people who will be put on a pedestal and cannot even be mentioned by name? We have mentioned the name of the hon. Prime Minister. We have mentioned the name of the hon. Deputy Prime Minister. They have been criticised in the House and if the name of the Leader of the Opposition is mentioned, and nobody has meant any disrespect to her, I do not see any reason why these people should be so sensitive to it. Nobody is above reproach in democracy. Anybody can

be criticised. And, there have been instances where we have criticised people, people, have expressed their opinion about the highest persons of the land. If there is an allegation, it can be countered from there. If there are wrong facts mentioned from this side, they can give the correct facts. If we are wrong somewhere, they will get an opportunity. They should express their opinion. But, what is this position that this particular name should not be mentioned at all? In fact, it is against the grain of democracy that one individual is put at a higher pedestal and that name cannot be mentioned.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): She is a Member of the other House..*(Interruptions)...*

SHRI BALBIR K. PUNJ: So is the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. They are also Members of the other House.

उपसभापति : देखिए। एक अच्छे माहौल में यह बात कही जा रही है । मैं आपसे यह उम्मीद करती हूं कि आप लोग उसी भाषा में, उसी टोन में बात करें क्योंकि इस मसले का हल ढूढंना है। इसको कंटीन्यु नहीं रख सकते । आप बोलिए।

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): Madam, I think, we are the best people to say a few things on it because we do not belong to the Ruling Party, we do not belong to the Opposition. Every citizen in this country has a great respect for the Congress President, as also for that family. There is one thing I have always admired about the traditions of this family. Although they are around in the politics of free India for more than fifty-five years, holding very high, in fact, the highest position in the country, so much has been said about them, so much has been written about them. But, this family has never filed a suit for defamation, not even once. They have not served even a legal notice on anybody, although there were many objectionable things said and written about them. Somebody has said something. Then he has chosen to clarify. What is the clarification? The clarification is this. He says, "There is a reference to this name." This aspect has been clarified many, many times. My request to the Opposition would be that after this clarification, please do not insist on anything further. You accept the clarification given by the Minister and let the matter rest at that. What he has said and what we have understood is precisely what the Minister has explained, subsequently, many times. If you think it is objectionable, you raise it. What has been clarified is that there is nothing more than a mere reference. It is not an allegation. It is only a reference. If I heard the hon. Member, Ambika Soniji, correctly that night on the television, as far as my memory goes, I repeat, 'as far as my memory goes'

what she said was, "Well, Mr. Jogi has been suspended because "सोनिया जी का नाम लिया।"

श्री एस0एस0 अहलुवालिया (झारखंड) **:** लिया नहीं ,घसीटा।

श्री स्वराज कौशल : नाम घसीटा या लिया, ऐसा कुछ कहा। ... (व्यवधान)... हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा। अगर गलती से कुछ कहा गया,please let it be... What should one say is, 'Slip of the tongue'. So, please don't insist on anything more than clarification, which has been done, many, many times. That what was referred was only the name. There was some reference to the name. It does not mean there was an allegation. We have not understood the speech of the Minister in the context of the allegation; we have understood the speech of the Minister only *qua* the reference, and nothing more. Thank you.

SHRIMATI AMBIKA SONI (N.C.T of Delhi): Madam, do I have a right to clarify?

उपसभापति : ठीक है, आप बोलिए।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam Deputy Chairperson, the hon. Member has referred to my reaction as a Spokesperson of the party on the television. He has obviously got the lines wrong, because I very specifically spoke, as the party *pravakta,* that we had strong objection, because it was at that time the Law Minister of this country vexing eloquent on television for hours, using the name of the Leader of the Opposition as if that had been used in the tape in a very major way. So, I first of all, had objected to the name being used in a way, which gave the impression, whoever were looking or listening to him that, that was the main issue in the tape. The second thing, when the party had decided to suspend Shri Jogi from the party, it was on the specific charge that he had written a letter to the Governor, expressing his support for the formation of some other kind of alternative Government, without any authority to do so. That was the reason for suspending him. There was no other reason for suspending him.

श्री संघ प्रिय गौतम **:** पचौरी जी, अब खत्म करिए, आगे बढ़िए। बहुत मौके मिलेंगें प्रेमजी, आपका तो नाम ही प्रेम है।

श्री प्रेम गुप्ता (**बिहार**) **:** माननीय महोदया,यह जो एक स्टेलमेट हाउस में बना हुआ है, वह एक ऐसे ईश्यू पर बना हुआ है जो इस साइड की पार्टी की, हम सब लोगों की भावनाओं से मामला जुड़ा हुआ है। आज हाउस में डिबेट होती है, हम सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, हंसी-मजाक में भी करतें हैं, सीरियस वे में भी करते हैं लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट खड़ा होकर डेलीब्रेटली हाउस में किसी को रेडीक्यूल करें, उस नेता को जो देश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी की अध्यक्षा हैं, और जानबूझ कर उस चीज को रिपीट कर –करके बोलना क्या,

यह अच्छी बात है? क्या इस चीज़ को कोई... (**व्यवधान**)... आप सुनिए तो सही, सबसे बड़ी पार्टी है, आपको दो, चार, पांच महीने में पता चल जाएगा कि कौन बड़ी पार्टी है, कौन छोटी पार्टी है, आप चिंता मत करिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : रिपीट नहीं किया है। ... (**व्यवधान**) ... रिपीट तो क्लैरीफिकेशन में किया गया ।

श्री प्रेम गुप्ता : माननीय महोदया, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपस में जैसे हम लोग डेलीब्रेट करते हैं, एक दूसरे की बात पर नाराज़ भी हो जाते हैं, हंसी मज़ाक भी कर लेते हैं लेकिन हम लोग, इस साइड के लोग प्रधान मंत्री जी को कुछ बोलें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर कुछ कमेंट करें या किसी बड़े लीडर के ऊपर कुछ कमेंट करें, पर्सनल कटाक्ष करें या उस तरफ के लोग इधर की पार्टी की अध्यक्षा के ऊपर कोई कटाक्ष करें, वह अच्छी चीज़ नहीं है। माननीय मंत्री को चाहिए कि वे हाउस में आएं और जो उन्होंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की है, उसके लिए हाउस से क्षमा मांगे और यह बोलें कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। धन्यवाद।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam Deputy Chairperson, I would just like to draw your attention to the proceedings of yesterday, page 499. There is a little difference of opinion over what Mr. Swaraj Kaushal argued. We would not have taken any exception to the observation of the Minister if it were said that there was a reference of Mrs. Sonia Gandhi on the tape. But, this is exactly what he stated and I will quote it from page 499: "And today when Mr. Ajit Jogi has become a liability - why I said it was a very curious statement - certainly, he would not have been dumped had he not really shown the courage to even use the name of Mrs. Sonia Gandhi on the tape.'

There are two aspects of it. One, Mr. Ajit Jogi used the name of Mrs. Sonia Gandhi on tape. It is a matter of fact, and it has to be established whether Mr. Ajit Jogi used the name of Mrs. Sonia Gandhi on the tape or not.

And the second part is regarding the inferences, which he is drawing. Now, you go through the other allegations. 'When Mr. Ajit Jogi caused defection in the BJP, you did not take any action against him. When Mr. Ajit Jogi became a Member of this House on a wrong Caste Certificate, you did not take any action. When he passed a competitive examination on a different caste, you did not take any action. You took action against him only when he used the name of Mrs. Sonia Gandhi on the tape. That is why, you have dumped him." Surely, Mr. Kaushal will agree that it is an insinuation and it is not a very complimentary remark.

Therefore, after that, subsequently, a series of arguments took place. We demanded, Mr Minister, you are free to amend your statement.

If you say, sometimes, in the course of the debate it happens that we use wrong words, we correct it. We have every right to correct it. And, repeatedly, so far as I remember and, Madam, you will also recollect, I told him, that you said two of these things. You tell us "no, I did not mean it.' "Or, if you mean it, you stick to it, then, you will have to establish it.' Therefore, there is an insinuation.

Apart from this, what happened after that? It is not merely the statement of Mr. Ravi Shankar Prasad, but what happened after that, that is what is causing disturbance to us. And, here, most respectfully, I would like to submit that it is not unusual that in the House, sometimes, tempers do rise high and we use derogatory words. Sometimes, we hurt the feelings of other Members. But, at the same time, the House has its self-correcting process. When we come back to our senses, we amend our behaviour. What we suggested in the morning to the Chair was. not to score any debating point or to raise any accusing finger against any individual. I took it upon myself over what happened yesterday when the House was adjourned. Some of our colleagues, dear colleagues, felt hurt, and I tendered an unconditional apology on behalf of my Party. And I expect a similar type of treatment to come from the Treasury Benches, because some felt they have been hurt. And, yes, we are free to choose the course of action we would like to have. But in the parliamentary system it has always happened, and I have seen it from my experience that, sometimes, it appears that the position is irreconcilable, but we find our ways to reconcile that position. Mr. Suresh Pachouriji gave his suggestion in that context. I would not mind if the Leader of the House, who represents not only that side, but who represents us, at least, I myself articulated the position of the Leader of the House in that way half a dozen times, that whatever he will do and whatever he will consider I am prepared to accept it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we are almost having a debate on something, which has not been listed in the business for today. I have Private Member's Resolution listed here.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Madam, yesterday onwards we-have been discussing this matter. You also said that you would look into the record, and, accordingly, took an action on that. But, so far as what had been said by the Minister is concerned, that remains in the record. So, that issue has to be resolved. The Government should have taken the initiative, but that has not taken place. That is why this debate has been

going on since yesterday. This issue has to be resolved. For that, the Government has to take proper steps, and, accordingly, the record should be cleared.

THE DEPUTY CHAIRMAN: See, when-1 say that I will look into the record, I, as a Chairperson, have some limitations. If anything unparliamentary or derogatory is said, I immediately remove it. What was said in the slogan shouting did not become a part of the record. I myself signed the papers last evening so that it could not be printed. As far as what the Minister had said yesterday and what Mr. Pachouri and Shri Pranab Mukherjee objected to is concerned, it was a matter of dispute. As regards what is on the tape and what is not on the tape, the Minister and the Opposition have two different opinions. The Chair cannot decide which is right and which is wrong. It is not my job. So, let the Government say what they want to say about it.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam. I would like to amend one thing. You are absolutely correct. But we are expecting the Government to express its regret for the observations-- made at the time of slogan shouting— which you have expunged from record. We are expecting that the Government should express its regret on that aspect. As regards what the Minister had stated yesterday, if I am correct, I have the way of getting it corrected. But we are not asking the Government to respond to that aspect right now. What I am saying is this. You yourself have admitted that you expunged certain observations from the record. Those were said, that is why they had to be expunged. I am expecting that the Government should regret for that. If the Government says, 'no' we won't do it, we will have to find some other way out.

SHRI O. RAJAGOPAL: Madam, I would like to say that apart from what the Minister had said, the hon. Shri Pranab Mukherjee has right now referred to one aspect of the issue, that is, the issue of slogan shouting. It .is very unfortunate that slogan shouting had taken place. It was quite proper to expunge that. We are very happy about that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Does Mr. Ahluwalia want to say something?... *(Interruptions)...*

श्री एस0एस0अहलुवालिया : सब के सब बोलेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे ... (**व्यवधान**) ... सब बात बोलेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे ... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : लड़ाई-झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अभी वे बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए जिसने जो भी हाउस में बोलना चाहा, बोला। अगर अहलुवालिया जी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। वे पार्टी के व्हिप हैं, वे बोल सकते हैं।

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : मैडम, कल जो कुछ हुआ उस पर इतनी चर्चा हुई, इतना हल्ला-गुल्ला हुआ, हाउस एडजर्न हो गया, आज सवेरे विपक्ष के सारे सदस्य वॉकआउट करके चले गए । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल रवि शंकर प्रसाद जी हमारी तरफ से बोल रहे थे। प्रणव दा इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं, कल उनको इसीलिए अवार्ड मिला है कि उन्होंने सबसे ज्यादा सत्रों को अटैण्ड किया है। 521 पेज पर रवि शंकर प्रसाद जी कहते हैं।"I said I know my decorum...*(Interruptions)...*The Leader of the Opposition is certainly there; she is entitled to have my respects. But the ghost question was with regard to a tape, and in the tape the reference of Mrs. Sonia Gandhi has come in a discussion *between...(Interruptions)...'!* think the matter ends there. Why should we discuss it further? यह बात तो कल ही कह दी गई थी। इसके बावजूद यह बार-बार उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि साहब, सदन से कोई रिग्रेट करे, कुछ करे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए। यह अच्छी बात है इसीलिए कल शायद मैंने पहली बार हाथ जोड़कर विनती की थी, जब आपके भारद्वाज जी कह रहे थे, भाषण दे रहे थे कि कृपया इस मामले की, जिस मसले का हम लोग सौहार्दपुर्ण वातावरण में फैसला करना चाहते हैं, उसकी भाषा शालीन भाषा हो। और सारा तर्क-विर्तक जो करना है उसका स्तर ऊंचा हो ताकि हम सारे देश को दिखा सकें , परन्तु स्तर नीचे गया। जिस तरह से भारद्वाज जी ने और जिस तरह से कपिल सिब्बल जी ने अटैक पर अटैक करने शुरू किए और उसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विधि मंत्री, सब को लपेट लिया। और तो और कुछ सदस्यों ने तो कुछ मंत्रियों को कहना शुरू कर दिया। ... (**व्यवधान**) ... तो किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए जो ईधन की जरूरत हैं, जो एडिंग फ्यूल टू फॉयर है, वह सारा इंतजाम उधर से होता रहा और हम चुपचाप सुनते रहे। यह भाषा, अगर पूरा इसको पढ़ा जाए, प्रोसीडिंग को पढ़ा जाए तो सारी चीज़ सामने है।

महोदया, मेरा तो आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आज 2.30 बजे से प्राइवेट मैबर्ज़ **बिज**नैस शुरू होता है। सुरेश पचौरी जी एक ऐसे मैंबर हैं, जो शायद सब से ज्यादा प्राइवेट मैंबर्स बिज़नैस में हिस्सा लेते हैं और प्राइवेट मैंबर्स बिजनैस का आप यहां पर समझते हैं कि न कुछ **ले**ना और न कुछ देना है, बड़ी मुश्किल से किसी सदस्य का रेज़ोल्यूशन में, लॉट में नाम आता है। वर्षो इस पर लॉटरी को लगते हुए एक नाम आता है और वह अपना रेज़ोल्यूशन बहस करन के लिए देता है । तो यह जो फैसला होना है, यह जो इनके बीच में बात है, जो सरकार के बीच में बात है , वह सोमवार के दिन हो जाएगी। अभी प्राइवेट मैंबर्स बिज़नैस को चलाया जाए और प्राइवेट मैंबर्स बिज़नैस के जो अधिकार हैं और इसके लिए जो मैंबर्स ने अपने रेज़ोल्यूशन दिए हैं, उस पर डिसकशन हो, उस पर बहस हो। एक मैंबर ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के सदस्य हैं, उन्होंने घमौतरण को बैन करने के लिए एक रेज़ोल्यूशन दिया है, इस पर बहस हो। कृपाल परमार जी का पहला रेज़ोल्यूशन है। उस पर बहस हो। ... (**व्यवधान**)... उसके बाद जो सरकारी है, क्योंकि अभी **जो** ... (**व्यवधान**) ..2.30 से लेकर 5 .00 बजे तक, शुक्रवार को गैर सरकारी काम होता है, ध्यान से सुन लीजिए और यही अभी हो रहा है। इस समय भी अगर आप ... (**व्यवधान**)... करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है।

---

* Not Recorded.

3.00 P.M.

उपसभापति : पचौरी जी, आपको इस पर कुछ कहना है।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, एक बात होती है कि किसी माननीय नेता का नाम आया, दूसरी बात होती है कि किसी माननीय नेता का किस संदर्भ में नाम आया। यदि गलत संदर्भ में आता है, तो निश्चित रूप से वह बात आपत्तिजनक हुआ करती हैं। यही बात लागू होती है, जब अन्य नेताओं का नाम, जिनके नाम का उल्लेख हमारे सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने किया , वह आया तो उनके गलत संदर्भ में नहीं आया था, **प्रशन** यह है कि यहा पर लोकसभा की जो विपक्ष के नेता है,उनका **नाम टेप के संदर्भ मे आया था**, जो गलत रेफ्रेंस में आया था। आदरणीय अहलुवालिया जी ने जो बात बाद में की है, तो बाद की बात तो और आपत्तिजनक है। माननीय मंत्री जी ने जो बात पहले की थी, जिसका वाचन आदरणीय प्रणव मुखर्जी साहब ने पृष्ठ 499 का किया है, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था । बाद में वह उससे डेविएट होकर कहते हैं ... (**व्यवधान**)... आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। उससे डेविएट होकर कहते हैं ... (**व्यवधान**)... आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । उससे डेविट होकर वह कहते हैं कि मैंमे तो रेफ्रेंस में बोला था, जबकि वह रेकॉर्ड है।

दूसरी बात, महोदया,आसंदी का क्या दायित्व और कर्त्तव्य है, विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पहले भी ऐसे प्रिसींडेंट रहे हैं कि अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई बात ऐसी कह दी है, जो रूल और प्रिसीडेंट **की परिधि मे नही आती है- एक, वह रेकॉर्ड से बाहर निकाला जाए,दूसरा,उसको सब्स्टांशिएट** करने के लिए की कहा जाए। जब मैने यह बात कही थी, 6 जून,1967 का एक मामला आया था, जो कि शीलभद्र याजी और राम मनोहर लोकिया के मामले में था, तो 19 जून,1967 को चेयरमैन ने इस संबंध में रूलिंग दी थी कि आप सब्सस्टांशिएट करिए, एक दूसरा, वह रेकॉर्ड से बाहर किया जाए और इसके लिए क्षमा मांगिए। तीसरी बात, मैं इसी पार्टी को बताकर ,महोदया, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि 17 मार्च,1983 को आसाम के मामले में जब पी0सी0 सेठी जी वक्तव्य दे रहे थे, तो उस समय शहाबुद्दीन जी ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का उल्लेख किया था,जो दूसरे सदन में थे, तो उस समय आडवाणी जी **ने** यह कहा था एक दूसरे सदन के नेता का नाम आप आरोपित करके नहीं लीजिए। तब वह सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला गया और फिर शहाबुद्दीन जी को अपने शब्द वापस लेने पड़े। तो यह इस सदन की पंरपरा रही है। यह इस सदन का इतिहास रहा है। तो प्रश्न यह है कि आसंदी यह सुनिश्चित करे कि अगर वह उस बात को जो उन्होंने कही है, सब्सटांशिएट नहीं करते हैं तो यह मामला प्रिविलेज का बनता है। वह इस सन से क्षमा-याचना करें और सदन की कार्यवाही से वह सारी बात क्योंकि बाद में वह खुद उस से डेविए कर रहे हैं कि मेरा यह कहने का आशय नहीं था, तो उसे सदन की **कार्यवाही** से विलोपित किया जाए और वह सदन से क्षमा-याचना करें।

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : मैं वह टैप पढ़कर सुना देता हूं । ... (**व्यवधान**)...वह कह रहे हैं कि नाम नहीं ... (**व्यवधान**)... मैं सुना देता हूं टेप पढ़कर। ... (**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी **:** आप आथंटिकेट कर दीजिए, अगर सुना रहे हैं तो । ... (**व्यवधान**)... नहीं-नहीं सदन में जो बात कही जाती है, उस को आथंटिकेट करना होता है। ... (**व्यवधान**)...आप आथंटिकेट कर दीजिए, आप आथंटिकेट कर दीजिए। ... (**व्यवधान**) ... यह थोड़े ही है कि जो मन में आया बोलते जाएं और आथंटिकेट करना नहीं, सब्सटंशिएट करना नहीं। आप अगर बोल रहे हो। ... (**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार (गुजरात) **:** आप मसला आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो या मसले को हल करने की बात कर रहे हो?

श्री सुरेश पचौरी : जो बोलना है, जिम्मेदारी से बोलो। **...** (**व्यवधान**)... आथंटिकेट करो । यह आप का हाल है, यह आप के मंत्रियों का हाल है। ... (**व्यवधान**) ...

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : यह नहीं कहा था कि कांग्रेस की अध्यक्षा से कहिए कि बयान दें... (व्यवधान)... क्या जोगी ने कहा नहीं कि **...** (**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी :मैडम, हम आप पर छोड़ देते हैं, जैसे यह सदन चलाना है वैसे सदन चलाएं । मगर कोई तरीका होता है, यह नहीं कि जो मर्जी हो बोलते रहो।

उपसभापति : अब प्लीज ... (**व्यवधान**)...

श्री एस0एस0 अहलुवालिया : जिस सच्चाई सुनिए। सच्चाई सुनने का साहस नहीं है। ... (**व्यवधान**)...

उपसभापति : आज अच्छे वातावरण में ... (**व्यवधान**)... वन मिनिट ... (**व्यवधान**)...

श्री मूल चन्द मीणा: मैडम, ये नहीं चाहते कि हाउस में अच्छा वातावरण रहे।

उपसभापति : अच्छे वातावरण में सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और हमारे कौशल जी ने अच्छी तरह से इस बात को कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि न मैं राइट हूं, न लेफ्ट हूं मैं तो सेंटर में बैठता हूं। वह तन्हा इंसान है, जो बोल रहे हैं। उन्होंने कोई पार्टी या किसी पक्ष की बात नहीं की। उन्होंने तो यह बहुत अच्छे तरीके से कहा था । मैं समझता हूं कि जिस परिवार के बारे में बात हो रही है, उस को उन्होंने काफी रिस्पेक्ट देने के बाद कहा कि यह मामला खत्म हो जाय। **अब** जैसे कि मैं ने कहा , हाउस चलना है। मैं ने बहुत से ऐसे वाकये देखें हैं जिस पर दोनों पार्टियां अपोजिशन और रूलिंग में झगड़े हुए हैं। आप जब इधर थे तो उधर से झगड़ा होता था और आप जब उधर हैं तो इधर से झगड़ा होता है। तो हाउस में एक डे**मोक्रेसी** की परंपरा है। आज हम डे**मोक्रेसी** में इस सदन के200वें सेशन की बात रहे हैं तो मैं समझती हूं कि आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब मंत्री यहां है नहीं । जब आप ने तय किया है कि लीडर आफ द हाउस की बात पर आप भरोसा करेंगे और लीडर आफ द हाउस तो आत हैं नहीं, वह मंडे को आएंगें,तब बात होगी और वह अपनी बात कहेंगे । मुझे मालूम नहीं हैं और मैं सरकार की तरफ से कुछ बोल नहीं सकती। जहां तक चैयर का सवाल है... (**व्यवधान**)... I have taken care of it. Anything, which is unparliamentary, which should not be a part of the record, anything, in anyway derogatory to anybody; I have removed it. Now, the question is of a dispute between what was said on which tape and what was not said on which tape, and that is not my responsibility. That is not..*(Interruptions)*...I am not responsible. Please, don't take a *panga* with the Chair for nothing; you are going to lose it because I have my limitations. I cannot dispute. I am not responsible either for the tape, which was played on the television that night, or what transcript he is talking about, or what transcript Mr. Suresh Pachouri is

talking about. I am not going to get involved in that. That is not my problem. That is your problem. I will only see that nobody is subjected insult in the House, either side. That is what my responsibility is. That's it.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN (Maharashtra): But, Madam, what is in the record of the House is...*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever is the record of the House, whatever is being read out, it is not derogatory in that term. If it is wrong, that is the question, which is disputed. I am nobody to say which is right and which is wrong. It is for the Government, it is for the Opposition to decide. I can only remove things, which are derogatory, insulting, hurting to either a Member of this House or any outside person. I would not allow anything, which is hurting anybody.

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Madam, insult can be by inference also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Look, if I go that far, I honestly tell you not a single speech can last in this House because everyday, everybody infers. I will sit and take out on the computer to find out as to how many inferences each one has made. So, let us not go into that *bareeki* because things are placed in such a way that we have to go very carefully and see that a solution is found. It's not the question to argue a case in the court, and, get the judgement from the Chair. I am not a Judge. ..*(Interruptions)...*

SHRI ASHWANI KUMAR: But, you are chairing the highest court of the people...*(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am not here as a Judge. I am not going to give my judgement on anything.

SHRI ASHWANI KUMAR: But let this be the starting point for resolving such issues.

कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपसभापति महोदया, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए यहां पर खड़ा नही हुआ हुआ हूं। मैं यह देख रहा हूं कि पूरा सदन यह चाहता है कि सदन में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। सभी सदस्यों की यही मंशा है और मैं यह समझता हूं कि हमारी इस बात से सभी सम्मानित सदस्य होंगे कि जब कभी भी कोई सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष को हो अथवा प्रतिपक्ष का हो अथवा निर्दलीय हो, वह कोई भी स्टेटमेंट देता हैं ,कोई वक्तव्य सदन में देता है तो कई उसके पहलू हो सकते हैं। हो सकता हैं कि जो वह वक्तय दे रहा है उस वक्तव्य की भावना को ठीक तरीके से समझा न गया हो अथवा यह हो सकता है। कि जो कुछ भी वह बोल रहा हो उसके कहने के पीछे उसकी मंशा ऐसी न रही हो । यही सोचकर कोई सदस्य अपने वक्तव्य का क्लेरीफ़िकेशन देने के लिए सदन में आपसे इजाजत

मांगता है, आप अनुमति देती हैं और फिर वह अपना **क्लेरीफ़िकेशन देता** है। जब माननीय राज्यमंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी यहां पर **अपना** क्लेरीफिकेशन देने के लिए खड़े हुए तो इस भाव से खड़े हुए थे। उन्हें ऐसा महसूस हूआ होगा कि हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों की भावनाएं शायद मेरे वक्तव्य के कारण आहत हुई हैं और इसीलिए शायद क्लेरीफिकेशन देने के लिए खड़े हुए थे। शायद उनके मन में यह भी बात होगी कि जो कुछ मैं कहना चाहता था शायद उस रूप में कुछ सम्मानित सदस्यों के द्वारा उसे नहीं लिया गया । उसी का क्लेरीफिकेशन करने के लिए वह खड़े हुए थे। इसका मतलब यह है कि उनकी मंशा यह थी कि हमारे सम्मानित सदस्यों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। क्लेरीफिकेशन कोई व्यक्ति देता है तो इसी कारण से वह अपना क्लेरीफिकेशन देता है। मैं समझता हूं कि चाहे वह मंत्री हो, चाहे सदन का कोई सम्मानित सदस्य हो,यदि उसकी यह मंशा कि वह इस सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य की भावना को आहत नहीं करना चाहता तो फिर उसके बाद उस विषय पर आगे चर्चा करने का यह बहस को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य मेरी समझ नहीं आता । मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा , विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा,**चूंकि आपनी भी मंशा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए**, इसलिए इस सारे मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए कयोंकि सम्मानित मंत्री ने अपना क्लेरीफिकेशन दे दिया है। **... (व्यवधान)**...

श्री राजू परमार: नहीं दिया है। **... (व्यवधान**)...

श्री खान गुफ़रान जाहिद्दी**:** वह तो आए ही नहीं। **...** (व्यवधान)**...**

श्री कृपाल परमार: मैडम, मेरा रेजोलूशन है।

उपसभापति : ठीक है । प्राइवेट मैंम्बर्स रेजोलूशन,श्री कृपाल परमार । **...** (व्यवधान)**...**

RE: TOTAL BAN ON RELIGIOUS CONVERSIONS IN THE COUNTRY

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam. I have a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, what is your point of order?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, it is regarding the Resolution. Madam, now, I stand not to support or oppose any particular religion in India. We believe in secularism. Now, the Resolution that is going to be moved by the hon. Member, Shri Kripal Parmar, is to urge the Government to bring forward a legislation in the Parliament to ban religious conversions in the country. Madam, this Resolution, basically, I feel, is contrary to the rights conferred upon the citizens of India vide Article 25 of the Indian Constitution. The heading of the Article is "Freedom of Conscience and Free Profession, Practice and Propagation of Religion". Madam, I quote, "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion".